**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**मनसूर आलम**

**बनाम**

**राज्य बिहार एवं अन्य**

2021की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार प्रकरण सं. 468

30 अगस्त 2023

**(माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा)**

**विचार के लिए मुद्दा**

क्या पुलिस द्वारा अपहृत नाबालिग बालक के मामले की जाँच उपयुक्त एवं संवेदनशील ढंग से नहीं की गई?

**हेडनोट्स**

मामला संवेदनशील था, परंतु जाँच सामान्य ढंग से की गई, जहाँ अन्वेषण अधिकारियों को बार-बार बदला गया और कुल दस अन्वेषण अधिकारियों ने इस मामले की जाँच टुकड़ों-टुकड़ों में की। पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन अन्वेषण अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और कार्यवाही प्रारंभ की गई है। अपहृत नाबालिग बच्चे की बरामदी हेतु विशेष टीम गठित कर अपराधियों को पकड़ने का कोई गंभीर प्रयास पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्च पुलिस अधिकारियों की ओर से नहीं किया गया प्रतीत होता है। (पैरा 29)

लगभग चार साल छह माह तक जाँच में कोई प्रगति नहीं हुई और केस डायरी मात्र औपचारिकता निभाते हुए लिखी गई। (पैरा 30)

पुलिस अधीक्षक, सीवान, को निर्देशित किया जाता है कि वे संपूर्ण अभिलेख सीआईडी को सौंपें ताकि वह इस मामले की पुनः जाँच शीघ्रता से कर सके, क्योंकि यह एक गंभीर मामला है जिसमें पाँच वर्षीय नाबालिग बच्चे का अपहरण हुआ है और वह वर्षों से लापता है। (पैरा 33, 34)

**न्याय दृष्टान्त**

विनय त्यागी बनाम इर्शाद अली उर्फ दीपक व अन्य, ***(2013) 5 एस.सी.सी. 762***

## अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 186; शस्त्र अधिनियम, 1959

## मुख्य शब्दों की सूची

अपहरण; पुनः जांच; नाबालिग बालक; पुलिस निष्क्रियता; केस डायरी में हेरफेर; वैज्ञानिक जांच; अपराध अन्वेषण विभाग; पर्यवेक्षण में चूक

## प्रकरण से उत्पन्न

थाना- बसंतपुर, कांड सं. 194/2012, जिला - सीवान

## पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अजीत सिंह

राज्य की ओर से: श्री मो. नदीम सिराज, जी.पी. 5

ई.ओ.यू. की ओर से: श्री वी. एन. पी. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सोनी श्रीवास्तव

निगरानी की ओर से: श्री अनिल सिंह, श्री अरविंद कुमार

**रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:** अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

## माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2021 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार प्रकरण सं.468**

थाना कांड सं.-194, वर्ष-2012, थाना-बसंतपुर, जिला-सीवान से उत्पन्न

======================================================

मंसूर आलम, पिता कायमुद्दीन हुसैन, निवासी, गाँव-पंडौली, थाना-बसंतपुर, जिला-सीवान

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. जिला दण्डाधिकारी जिला-सीवान, बिहार के माध्यम से बिहार राज्य
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-सीवान बिहार
3. थाना प्रभारी, थाना-बसंतपुर, जिला-सीवान बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, पटना, बिहार
5. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेशन ब्यूरो, पटना, बिहार बिहार

... ... प्रतिवादी/ओं

======================================================

**उपस्थितिः**

| | | |
|---|---|---|
| याचिकाकर्ता/ओं की ओर से | : | श्री अजित सिंह |
| राज्य की ओर से | : | श्री मो. नदीम सेराज, जी. पी. 5 |
| ई. ओ. यू. के लिए | : | श्री वी. एन. पी. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | | सुश्री सोनी श्रीवास्तव |
| सतर्कता के लिए | : | श्री अनिल सिंह |
| | | श्री अरविंद कुमार |

======================================================

**गणपूर्तिः माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा**

**<u>निर्णय और आदेश</u>**

**सी. ए. वी.**

**दिनांक: 30-08-2023**

यह रिट आवेदन प्रत्यर्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363/365 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज 2012 के बसंतपुर थाना कांड सं.194, दिनांक 03.08.2012, की जांच पूरी करने के निर्देश के लिए दायर किया गया है, जो याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज किया गया था, जो अपहृत नाबालिग लड़के (लगभग 5 वर्ष की आयु) का पिता है और जाँच एजेंसी को आगे उसके बेटे का पता लगाने और सक्षम अदालत के समक्ष प्रतिवेदन दायर करने का निर्देश देता है।

**2.** अभियोजन पक्ष का मामला, प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार, यह है कि 02.08.2012 को सुबह लगभग 10 बजे, पीड़ित लड़का, अर्थात् रियाज आलम, याचिकाकर्ता का बेटा, जिसकी उम्र लगभग 5 साल, गोरा रंग, ऊंचाई ढाई फीट, लाल रंग की आधी पैंट और लाल और नीले रंग की आधी टी-शर्ट पहने हुए था), अपने ही घर से लापता हो गया। याचिकाकर्ता ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलकर लड़के की तलाश शुरू की और खोज की प्रक्रिया में याचिकाकर्ता के घर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खजुहारी गांव के ग्रामीणों से उन्हें पता चला कि शाम को लगभग 04:30 बजे लाल रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर सवार, दो व्यक्तियों को एक बच्चे का मुंह बंद करके जबरन ले जाते देखे गए, जो अपनी मां के पास वापस लौटने के लिए रो रहा था और जब ग्रामीणों ने हल्ला मचाया, तो मोटरसाइकिल सवार पूर्व दिशा की ओर बढ़ गए और मीरा टोला बाजार रोड का रास्ता ले लिया, जो सिंघासानी मंदिर के बगल में है, और भाग गए।

**3.** याचिकाकर्ता की शिकायत है कि पुलिस ने अपहृत नाबालिग लड़के की बरामदगी के लिए उचित कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने यह कहते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि वह अपने नाबालिग बेटे की बरामदगी के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, लेकिन उनके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस संबंध में, उन्होंने जिला दण्डाधिकारी, सीवान को 22.08.2012 को, और बिहार के उप मुख्यमंत्री को भी 23.08.2012 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक '2' श्रृंखला) को और आगे पुलिस अधीक्षक, सीवान को

20.02.2020 को, पुलिस महानिदेशक, बिहार को 06.03.2020 को और मुख्यमंत्री, बिहार को भी 17.02.2020 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक '5' श्रृंखला) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

**4.** याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के भाई, खुर्शीद आलम ने पुलिस को 03.08.2012 को सूचित किया कि 02.08.2012 को रात के समय, मोबाइल फोन नंबर 9955473345 से एक फोन कॉल आया, जो सूचनाकर्ता-याचिकाकर्ता के घर के मोबाइल फोन नंबर 9955757272 पर प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि बच्चा उसके साथ था और फोन करने वाले ने सिंघासिनी मेले (मेला) आने का निर्देश दिया और जब सूचनाकर्ता के रिश्तेदार सिंघासिनी मेले (मेला) में पहुंचे, तो उन्होंने उसी मोबाइल फोन पर फोन किया, जिसमें यह बताया गया था कि वह वखरी मेला (मेला) में थे। इसके बाद नाबालिग लड़के के रिश्तेदारों ने उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रिश्तेदारों के प्रयास विफल रहे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस ने मोबाइल फोन नंबर 9955473345 के मालिक संजय यादव को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया था।

**5.** याचिकाकर्ता ने दो प्रथम सूचना प्रतिवेदन दायर की हैं; एक याचिकाकर्ता के बेटे, जो अभी भी लापता है, के अपहरण के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 447/384/307 504/506/120 (B)/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 03.08.2012 को, 2012 का बसंतपुर थाना कांड सं. 194, और दूसरा, 13.02.2020 को, 2020 का बसंतपुर थाना कांड सं. 61, और आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् अजीत कुमार सिंह @पप्पु सिंह, अशोक कुमार सिंह और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया है। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन में, यह आरोप लगाया गया है कि उक्त दोनों नामित व्यक्ति याचिकाकर्ता/सूचक के घर पर मोटरसाइकिल पर आए और आरोपी व्यक्तियों, अजीत कुमार सिंह उर्फ पप्पु सिंह और अशोक

कुमार सिंह के कहने पर उसे मारने के इरादे से गोली मार दी। यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त दो नामित आरोपी व्यक्ति 2008 के बसंतपुर थाना कांड सं.102 में भी आरोपी हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/201/120बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज हैं, लेकिन उनके राजनीतिक संबंधों और वित्तीय शक्ति के कारण, पुलिस इस मामले पर चुप है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि नामित आरोपी अजीत कुमार सिंह उर्फ पप्पु सिंह ने एक पक्षकार के रूप में जोड़े जाने के लिए एक हस्तक्षेपकर्त्ता आवेदन दायर किया था, जिसे इस अदालत ने दिनांक 08.02.2023 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।

**6.** यह रिट आवेदन इस न्यायालय में बच्चे के अपहरण की तारीख से लगभग आठ साल सात महीने बाद अर्थात, 12.03.2021 को दायर किया गया था। इसे पहली बार 21.09.2022 को विचार के लिए लिया गया था। यह उल्लेख करना उचित है कि पुलिस ने वर्तमान बसंतपुर थाना कांड सं. 2012 का 194, में दिनांक 30.04.2020 वाला अंतिम प्रपत्र सं. 2020 का 87 पहले ही जमा कर दिया है, जिसमें घटना सही पाई गई है, लेकिन न तो अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की जा सकी है और न ही बच्चे को बरामद किया गया है। वर्तमान रिट आवेदन दाखिल करने से पहले पुलिस द्वारा अंतिम प्रपत्र वर्ष 2021 में ही जमा कर दिया गया है।

**7.** इस न्यायालय की एक विद्वत समन्वय पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि यह याचिकाकर्ता के पांच साल के बेटे के अपहरण का मामला है, पुलिस अधीक्षक, सीवान (प्रतिवादी सं.2) को अब तक की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

**8.** यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता ने दो मामलों में उचित जांच के लिए अनुरोध किया है, पहला 2012 का बसंतपुर थाना कांड सं. 194 है, जो अज्ञात के खिलाफ सूचक के पांच साल के बच्चे के अपहरण के लिए दर्ज किया गया है, और दूसरा 2020 का बसंतपुर थाना कांड सं. 61 है, जो याचिकाकर्ता को मारने के लिए नामित

अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयास के संबंध में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त दो मामले अलग-अलग प्रकृति के हैं और एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं, इसलिए विद्वान वकील को वर्तमान रिट आवेदन में एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन में से किसी एक तक अपनी प्रार्थना को सीमित करने का निर्देश दिया गया था। उक्त परिस्थितियों के आलोक में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने 2012 के बसंतपुर थाना कांड सं. 194 के संबंध में उनकी प्रार्थना को सीमित कर दिया है।

**9.** इस रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान, चार जवाबी हलफनामे दायर किए गए हैं। दिनांक 21.09.2022 के आदेश के अनुसार, 05.11.2022 को एक जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि 2012 के बसंतपुर थाना कांड सं. 194 में अंतिम फॉर्म जमा किया गया है, जिसमें घटना सही पाई गई है लेकिन आरोपी व्यक्तियों की पहचान नहीं की गई है। संदिग्ध संजय यादव की कथित संलिप्तता की जांच की गई, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कहा जाता है कि संजय यादव खेती और मवेशी पालन में लगे हुए हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया है कि अपहृत बच्चे की बरामदगी के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं। इस मामले की निगरानी पुलिस अधीक्षक, सीवान और उप-मंडल पुलिस अधिकारी, महाराजगंज द्वारा की गई है और इसके बाद अपहृत बच्चे की खोज के संबंध में जांच अधिकारी को विशिष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है।

**10.** जवाबी हलफनामा, दिनांक 05.11.2022, जांच एजेंसी के निराशाजनक प्रदर्शन को दर्शाता है, इस अदालत ने दिनांक 09.11.2022 के आदेश के माध्यम से, पुलिस अधीक्षक, सीवान को मामले के अभिलेख के साथ इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया ताकि यह दिखाया जा सके कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

**11.** दिनांक 09.11.2022 के आदेश के अनुसार, पुलिस अधीक्षक, सीवान द्वारा 21.11.2022 को एक पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जो मुख्य रूप से 2020 के बसंतपुर थाना कांड सं. 61 से संबंधित है। 30.11.2022 को, पुलिस अधीक्षक, सीवान 2012 के बसंतपुर थाना कांड सं. 194 की अधूरी केस डायरी के साथ इस अदालत के समक्ष उपस्थित थे, जिसमें दिखाया गया था कि वर्ष 2015-2019 के दौरान, यानी लगभग 4 साल 7 महीने की अवधि के लिए कोई केस डायरी नहीं लिखी गई थी। इस न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक, सीवान को बताया कि जबकि 10.02.2015 को लिखी गई केस डायरी अनुच्छेद 115 तक है, उसके बाद केस डायरी 06.09.2019 से शुरू होती है और अनुच्छेद संख्या 53 से दिखाई दे रही है जो पूरी तरह से असंगत थी और इस न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करेगी। पुलिस अधीक्षक, सीवान को अपने अभिलेख की व्यवस्था करने और अगले दिन अदालत को संबोधित करने के लिए समय दिया गया था।

**12.** 01.12.2022 को, पुलिस अधीक्षक, सीवान ने कुछ और पृष्ठों के साथ केस डायरी प्रस्तुत की। इस बार, पृष्ठ सं. 19 से 26, जो ज़ेरॉक्स प्रतियां थीं, को 10.02.2015 और 06.09.2019 की केस डायरी के पृष्ठों के बीच रखा गया था। कुछ पृष्ठों में कांड सं. को 2012 का महिला थाना कांड सं. 194 लिखा गया था, जबकि कुछ पृष्ठों में इसका उल्लेख 2012 का बसंतपुर थाना कांड सं. 194 किया गया था। इस न्यायालय ने पाया कि पृष्ठ सं. 27 के बाद, अनुच्छेद संख्यओं को अनुच्छेद से पहले '1' जोड़कर बदल दिया गया है, जो पहले मौजूद थे, जिसका अर्थ है कि अनुच्छेद '53', '54' और '55' आदि को अनुच्छेद '153', '154' और '155' के रूप में दिखाया गया है। जब इस अदालत ने सीवान के पुलिस अधीक्षक से यह समझाने के लिए कहा कि वह केस डायरी की कार्बन कॉपी में रातोंरात ऐसा कैसे कर सकते हैं और इसे अभिलेखों के अंतर्वेशन के रूप में क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, तो सीवान के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह गलती से किया गया था और उन्हें इसके लिए खेद है।

**13.** चूंकि केस डायरी में अभिलेखों और विसंगतियों का अंतर्वेशन दिखाई दिया, इसलिए पुलिस अधीक्षक, सीवान को मामले के अभिलेख को देखने और यह विचार करने का निर्देश दिया गया कि क्या आगे की जांच की आवश्यकता है या इस अदालत के लिए मामले की फिर से जांच का निर्देश देना उचित होगा। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक, सीवान को उपस्थित रहने और सुनवाई की अगली तारीख पर अपने विचार से इस अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश के आलोक में, एक प्रतिवेदन, पत्र सं. 8758, पुलिस अधीक्षक, सीवान द्वारा 07.12.2022 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 2012 के बसंतपुर थाना कांड सं. 194 के संबंध में, कहा गया है कि जांच अधिकारी ने सी.आई.जी. (आपराधिक खुफिया राजपत्र) प्रकाशन के लिए आवेदन भेजा है। अपहृत बच्चे की तस्वीर अखबार में प्रकाशित की गई थी और शहर में कई स्थानों पर लगाई भी गई थी। गुप्त एजेंटों को भी तैनात किया गया था और अपहृत बच्चे की खोज के लिए सभी संभव प्रयास किए गए थे, लेकिन बच्चे को बरामद नहीं किया जा सका। उक्त मामले में, अंतिम प्रपत्र 2020 के अंतिम प्रपत्र संख्या 87, दिनांक 30.04.2020 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपराध को सही बताया गया है। इसके अलावा यह कहा गया है कि केस डायरी में कई स्थानों पर दुर्बलता पाई गई है और इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और दोषी जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है।

**14.** इस न्यायालय ने दिनांक 01.12.2022 के आदेश के माध्यम से, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीवान की अदालत से 2012 के बसंतपुर थाना कांड सं. 194 के पूरे अभिलेख भी मांगे और याचिकाकर्ता को आर्थिक अपराध इकाई, बिहार और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जोड़ने का निर्देश दिया, जो पार्टी-प्रत्यर्थी के रूप में बिहार सरकार के सतर्कता विभाग के अधीन हो, कहा जाता है। इसके बाद, आर्थिक अपराध इकाई, पटना, बिहार के दिनांक 22.12.2022 के आदेश के अनुसार, दो मामलों की जांच सौंपी गई, अर्थात 2022 का बसंतपुर (लकड़ी नवीगंज) थाना कांड सं. 164 और 2021 का बसंतपुर (लकड़ी

नवीगंज) थाना कांड सं. 212, जिसमें भारी सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी/गबन शामिल है। उक्त आदेश के अनुसरण में, पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार (प्रतिवादी संख्या 4) की ओर से 22.04.2023 को एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। उपरोक्त जवाबी हलफनामा प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह याचिकाकर्ता के बेटे के अपहरण के संबंध में नहीं है।

**15.** 08.02.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से, बसंतपुर थाना कांड सं.194/2012 की केस डायरी की पूरी सुपाठ्य प्रति को विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीवान की अदालत से मंगाया गया था। इस बीच, जांच अधिकारी को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया कि अगली सुनवाई की तारीख से पहले सूचक के अपहृत बेटे को सकारात्मक रूप से बरामद करने के लिए क्या कदम उठाए गए और आगे संबंधित जांच अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।

**16.** 02.03.2023 को, दस जांच अधिकारियों में से नौ उपस्थित थे और शेष एक 23.03.2023 को इस अदालत के समक्ष उपस्थित थे। 04.07.2023 को, इस अदालत ने जांच के दौरान पुलिस द्वारा अपहृत बच्चे की बरामदगी के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछताछ की, जिसके लिए तीन सप्ताह का समय मांगा गया और पूरक जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी गई।

**17.** दिनांक 04.07.2023 के आदेश के आलोक में, 31.07.2023 को पुलिस अधीक्षक, सीवान की ओर से एक अतिरिक्त जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि उक्त आदेश, दिनांक 04.07.2023 के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक, सीवान ने ज्ञापन संख्या 399/कानूनी प्रकोष्ठ, दिनांक 06.07.2023 के माध्यम से स्टेशन हाउस अधिकारी, लाकड़ी, नवीगंज से मामले के अभिलेख के साथ एक प्रतिवेदन मांगी। थाना प्रभारी, लाकड़ी, नवीगंज द्वारा एक विस्तृत प्रतिवेदन, डी. आर. संख्या 602/2023, दिनांक 08.07.2023 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है जो उक्त जवाबी हलफनामे के लिए

अनुलग्नक-आर-2/ए है। इसमें कहा गया है कि जांच अधिकारी ने अपहृत लड़के को बरामद करने के लिए एक जासूस के साथ-साथ स्थानीय चौकीदार को भी नियुक्त किया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने खुद हिंदी दैनिक समाचार पत्र में अलग-अलग तारीखों पर अपने नाबालिग बेटे के लापता होने के बारे में समाचार पत्र प्रकाशन करवाया है और प्रमुख स्थानों पर पर्चे भी चिपकाए हैं। जवाबी हलफनामे में आगे कहा गया है कि अपहृत लड़के की तस्वीर को सी. आई. जी. प्रकाशन के लिए, महिला थाना डी. आर.-25/15 दिनांक 07.02.2015 के माध्यम से, भी भेजा गया था, लेकिन सी. आई. जी. की सामग्री नहीं मिली और इसलिए इस संबंध में, जाँच अधिकारी को ज्ञापन सं. 5560, दिनांक 23.07.2023 के तहत, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा, संदिग्ध संजय यादव के मोबाइल नंबर के कॉल विवरण का पता लगाया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बाद भी, कोई सुराग नहीं मिला और उसके बाद पुलिस ने अंतिम फॉर्म जमा किया।

**18.** याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में, स्थानीय पुलिस ने उचित तरीके से कार्य नहीं किया, जो केस डायरी के मात्र अवलोकन से स्पष्ट होगा। जाँच के नाम पर, जाँच अधिकारियों ने केवल केस डायरी में अभिलेखों का अंतर्वेशन किया है, जिसमें सूचक का पुनः कथन (पाँच बार) और कुछ गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए हैं। जाँच अधिकारी वैज्ञानिक रूप से आगे नहीं बढ़े। केस डायरी के कई अनुच्छेद में जांच अधिकारियों द्वारा बार-बार प्रस्तुत की गई एकमात्र बात यह है कि उन्हें अपहृत लड़के के बारे में कोई जानकारी/सुराग नहीं मिल सका है। सूचक के भाई द्वारा दी गई जानकारी पर, जांच अधिकारियों ने संदिग्ध संजय यादव से पूछताछ की, जिसके बारे में बाद में कहा गया कि वह मामले में शामिल नहीं है क्योंकि वह एक साफ-सुथरा व्यक्ति है, जो अपनी खेती और पशु पालन के काम में व्यस्त है।

**19.** विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि जांच अधिकारियों ने संदिग्ध के साथ आगे की जांच करना और उससे सच्चाई का पता लगाना नयायसंगत और उचित नहीं समझा।

**20.** यह प्रस्तुत किया जाता है कि नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रताओं का रक्षक होने के नाते, यह न्यायालय, वर्तमान मामले के दिए गए तथ्यों में, वर्तमान मामले की जांच को एक स्वतंत्र एजेंसी और या अपराध जांच विभाग को स्थानांतरित करने के लिए अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

**21.** दूसरी ओर, इस अदालत के साथ बातचीत करने वाले प्रतिवादी-राज्य और पुलिस अधिकारियों ने, सुनवाई के दौरान, कहा है कि इस मामले में स्थानीय पुलिस ने जांच के दौरान उचित कदम उठाए हैं और भले ही अपहरण किए गए लड़के की बरामदगी सच्चाई का पता लगाने और अपहृत बच्चे की बरामदगी के लिए किए गए सभी प्रयासों के बावजूद नहीं की जा सकी। इस प्रकार, यह उनका निवेदन है कि पुलिस ने सभी कोणों से मामले की जांच की है, लेकिन अपहृत लड़के और आरोपी का भी पता नहीं चल सका है।

**22.** मैंने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

**23.** अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से, मेरी राय में, स्थानीय पुलिस ने वांछित संवेदनशीलता और वैज्ञानिक रूप से मामले की जांच नहीं की है, जिसके कारण, याचिकाकर्ता ने 12.03.2021 को इस न्यायालय का रुख किया।

**24.** केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मामले के जांच अधिकारियों और पर्यवेक्षण अधिकारियों ने अपहृत लड़के या आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किए हैं, जिन्होंने यह अपराध किया है। जांच अधिकारियों ने उस टेलीफोनिक बातचीत की जांच नहीं की, जो कथित संदिग्ध की एक व्यक्ति, बेहरान यादव के साथ हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह संदिग्ध के साथ वखारी मेला गया था,

जिसमें संदिग्ध ने, बेहरान यादव को फोन करते समय, गलती से सूचक को फोन कर दिया था। संदिग्ध संजय यादव के साथ गए दूसरे व्यक्ति बेहरान यादव से न तो पूछताछ की गई और न ही पुलिस ने उक्त बेहरान यादव के मोबाइल नंबर के कॉल विवरण की पुष्टि की, और पुलिस ने मेले में संदिग्ध संजय यादव के साथ आए अन्य 15-20 लोगों से भी पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई।

**25.** उप-मंडल पुलिस अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने यह सत्यापित करने की परवाह किए बिना कि क्या जांच अधिकारियों द्वारा पिछले निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं, लंबे अंतराल पर पर्यवेक्षण किया था।

**26.** जब इस न्यायालय ने राज्य से पूछा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा इलाके में अलग-अलग स्थानों पर चिपकाने के लिए पर्चे कहाँ से छापे गए थे और किस एजेंसी से उक्त पर्चे छापे गए थे, प्रतिवादी के विद्वान वकील-राज्य के पास इसका कोई जवाब नहीं था।

**27.** इस अदालत ने देखा है कि जांच के दौरान, जांच अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बाद यह देखने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया कि क्या उन निर्देशों को वास्तव में उनके द्वारा लागू किया गया था या नहीं। जांच अधिकारियों ने नाबालिग अपहृत लड़के की तस्वीर भी तुरंत वेब पोर्टल 'ट्रैकदीमिसिंगचाइल्ड.गव.इन' पर अपलोड करने के लिए नहीं भेजी थी। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया। संबंधित विभाग को प्रकाशन के लिए जानकारी भेजने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। प्रतिवेदन 1 में, कुछ निर्देश जारी किए गए थे। जाहिरा तौर पर, जाँच को पूरा करने में एक गंभीर चूक और अंतराल है।

**28.** जांच अधिकारियों ने दर्ज किया है कि सूचक के भाई ने संदिग्ध संजय यादव का मोबाइल नंबर दिया था और जांच अधिकारियों ने उसके मोबाइल नंबर की सीडीआर के लिए लिखा था। लेकिन केस डायरी के अनुच्छेद 53 से, ऐसा प्रतीत होता है कि सूचक के भाई द्वारा बताए गए संदिग्ध के मोबाइल नंबर की सीडीआर को नहीं मंगाया गया

था और जांच अधिकारियों ने संदिग्ध संजय यादव की बदले गए मोबाइल संख्या की सीडीआर को मंगाया है और उक्त सी. डी. आर. भी पुलिस को अभी तक नहीं मिली है।

**29.** अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर चर्चा से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथ्य, जो सामने आते हैं, वह यह है कि पुलिस ने लगभग पाँच वर्ष की आयु के एक नाबालिग बच्चे के अपहरण के संबंध में वर्तमान मामले की आवश्यक संवेदनशीलता के साथ जांच नहीं की और जांच नियमित तरीके से आगे बढ़ी, जिसमें जांच अधिकारियों को बार-बार बदला गया और कुल मिलाकर दस जांच अधिकारियों ने वर्तमान मामले की टुकड़ों में जांच की है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि समय-समय पर, पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन जांच अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था। पुलिस अधीक्षक, सीवान ने, अपने जवाबी हलफनामे में, यह भी कहा है कि कारण बताएँ जारी किए गए थे और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनकी चूक के लिए कार्यवाही शुरू की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपहृत नाबालिग बच्चे की बरामदगी के लिए अपराधी को पकड़ने के लिए विशेष दल का गठन करके पुलिस अधीक्षक और पुलिस विभाग के अन्य उच्च पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है।

**30.** इस न्यायालय ने यह भी देखा है कि लगभग साढ़े चार वर्षों से, जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है और केस डायरी नियमित रूप से लिखी गई है। जांच सही तरीके से नहीं किया गया था और यहां तक कि संदिग्ध के सही मोबाइल नंबर के सी. डी. आर. को भी जांच अधिकारी द्वारा नहीं मंगाया गया था।

**31.** उच्चतम न्यायालय ने, **विनय त्यागी बनाम इरशाद अली उर्फ दीपक और अन्य, (2013) 5 एस. सी. सी. 762** में प्रतिवेदित किए गए, के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक न्यायशास्त्र में निष्पक्ष और उचित जाँच का दोहरा उद्देश्य है; पहला, जाँच निष्पक्ष, ईमानदार, न्यायपूर्ण और कानून के अनुसार होनी चाहिए; और दूसरा, एक निष्पक्ष जाँच के लिए पूरा जोर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष

मामले की सच्चाई को सामने लाने पर होना चाहिए। कानून अच्छी तरह से तय है कि विश्वसनीयता बनाए रखना और जांच में विश्वास पैदा करना आवश्यक है और जहां पूर्ण न्याय के लिए इस तरह के आदेश की आवश्यकता है, संवैधानिक न्यायालय मामले की फिर से जांच के लिए निर्देश दे सकते हैं।

**32.** वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, निश्चित रूप से, सूचक-याचिकाकर्ता के पांच साल के बच्चे का उसके घर से अपहरण कर लिया गया है। तदनुसार, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि न्याय के उद्देश्य से और जाँच में विश्वास पैदा करने और अपहृत नाबालिग बच्चे का पता लगाने के लिए, मामले (2012 का बसंतपुर थाना कांड सं. 194, दिनांक 03.08.2012), की अपराध अन्वेषण विभाग, बिहार द्वारा फिर से जाँच की जानी चाहिए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध जांच विभाग, बिहार को पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के किसी अधिकारी को आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर इस मामले की जांच का प्रभार संभालने के लिए नामित करने का निर्देश दिया गया है।

**33.** पुलिस अधीक्षक, सीवान को आगे निर्देश दिया जाता है कि वे आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर बसंतपुर थाना कांड सं. 2012 के 194 के पूरे अभिलेख को अपराध जांच विभाग को सौंप दें।

**34.** अपराध जांच विभाग से मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जल्द से जल्द फिर से जांच करने की उम्मीद है, जिसमें एक पांच साल के नाबालिग बच्चे का अपहरण कर लिया गया है और वह इतने सालों से लापता है। मामले की फिर से जांच एक उचित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए और इस अदालत को उम्मीद और विश्वास है कि अपराध जांच विभाग इस मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच करेगा।

**35.** जिला न्यायालय को यह भी निर्देश दिया जाता है कि जब तक 2012 के बसंतपुर थाना कांड सं. 194 की पुनः जांच पूरी नहीं हो जाती और अपराध जांच विभाग द्वारा अंतिम प्रपत्र जमा नहीं किया जाता, तब तक इस मामले में आगे की कार्रवाई न की जाए।

**36.** इस आदेश की एक प्रति संबंधित जिला न्यायालय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध जांच विभाग, बिहार और पुलिस अधीक्षक, सीवान को तुरंत फैक्स के माध्यम से प्रेषित की जाए।

**37.** उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, इस आवेदन का निपटारा किया जाता है।

**(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)**

प्रभाकर आनंद/-

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**